संख्या- 56/2016 /3492/58-2016-250/2014

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 30 दिसम्बर, 2016**

विषय :- **प्रदेश में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में राजस्व एवं पूंजी लेखा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जनपद जौनपुर के लोहिया पार्क हेतु अवशेष निर्माण कार्यो के लिए धनराशि रू0-6075 हजार को अवमुक्त किये जाने एवं औद्यानिक व अन्य कार्यो के लिए धनराशि रू0-5681 हजार को व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-163/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक 15.10.2016 एवं पत्र संख्या-188/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक 17.11.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद जौनपुर में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क की स्थापना हेतु निर्माण कार्य कराने के लिए आय-व्ययक 2016-17 में प्राविधानित अवशेष धनराशि रू0-6075 हजार(रूपये-साठ लाख पच्हत्तर हजार) मात्र को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	**प्राविधानित धनराशि**	**अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि**
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-		
आयोजनागत-		
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-		
112-सार्वजनिक उद्यान-		
03-लोहिया पर्यावरणीय उद्यान एवं पार्क		
24-वृहत निर्माण कार्य	9020	6075
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयन्त्र	20	--
	9020	**6075**

(रूपये-साठ लाख पच्हत्तर हजार मात्र)

2- उक्त के अतिरिक्त् चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में संदर्भित योजनान्तर्गत जनपद जौनपुर के लोहिया पार्क की स्थापना हेतु औद्यानिक व अन्य आवश्यक कार्यो के लिए राजस्व लेखा में पूर्व में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निदेशक, उद्यान के पत्र संख्या-163/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक

http://shasanadesh.up.nic.in

15.10.2016 के क्रम में निम्नवत विवरणानुसार धनराशि रू0-5681 हजार के व्यय की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्यदायी संस्था का नाम	मजदूरी	सामग्री सम्पूर्ति	अन्य व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	औद्यानिक कार्य					
a	लान स्थापना-1.00 हे0	जिला उद्यान अधिकारी जौनपुर	618000	735090	138909	**1491999**
b	हेज/ऐज-300 रनिंग मीटर		174363	234000	40836	**449199**
c	गुलाब बाड़ी (बडेड) की स्थापना-0.20 हे0		44275	104000	17798	**166073**
d	सीजनल/अलंकृत पौधों के गमले तैयार करना-5000		265650	350500	232115	**848265**
e	श्रवरी बार्डर की स्थापना-1000 रनिंग मीटर		15134	52000	6713	**73847**
f	हरबेसियस बार्डर की स्थापना-1000 रनिंग मीटर		57960	125000	18296	**201256**
	योग-औद्यानिक कार्य		**1175382**	**1600590**	**454667**	**3230639**
2	अन्य कार्य					
a	चिल्ड्रेन पार्क की स्थापना	नेशनल इण्डस्ट्रीज आजमगढ़			92745	92745
b	फाउण्टेन की स्थापना	पी0डब्लू डी0 वाराणसी के आगणन पर विभाग द्वारा			751063	751063
c	शेडनेट का निर्माण 300 वर्ग मी0	जि0उ0अ0 जौनपुर द्वारा रू0-710 प्रति वर्ग मीटर विभागीय मानक पर			213000	213000
d	वर्किंग शेड का निर्माण	पी0डब्लू डी0 वाराणीस के आगणन पर विभाग द्वारा			307735	307735
e	समतलीकरण एवं मिटटी भराई	--तदैव--			751852	751852
f	सोलर स्ट्रीट लाइट-15	यू0पी0 नेडा,			332850	332850

http://shasanadesh.up.nic.in

		जौनपुर				
	योग-अन्य कार्य				2449245	2449245
	कुल योग- (1 + 2)		1175382	1600590	2903912	5679884
	अथवा निकटतम हजार रूपये में-		1176000	1601000	2904000	5681000

(रूपये-छप्पन लाख इक्यासी हजार मात्र)

उपरोक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जायेगा।

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि से निर्माण कार्य शासन/वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेशों में निहित सुसंगत नियमों/निर्देशों के अनुसार नामित कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग से कराया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण योजना के कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार फेजिंग करते हुए किया जाय।

(3) प्रकरण में कतिपय मदों में अनुरक्षण का भी प्राविधान है जबकि अनुरक्षण के लिए विभागीय बजट से संचालन व्यय के रूप में धनराशि उपलब्ध होती है। अतः निदेशालय/सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि एक ही मद के लिए दोहरी धनराशि स्वीकृत न हो जाय।

(4) निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(6) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासन में प्रेषित की गयी योजना के अनुसार ही स्वीकृत धनराशि की सीमा के भीतर किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन, वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746-दस-2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(8) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(9) धनराशि व्यय करने से पूर्व भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

(10) उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/ वित्त नियंत्रक तथा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायित्व होंगे।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746-दस-2016-231/2016, दिनांक 22.3.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत् किया जा रहा है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-56 / 2016-3492(1) / 58-2016, तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, जौनपुर।
3- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0शासन।
4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5- उप निदेशक उद्यान, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
6- कोषाधिकारी, जौनपुर।
7- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड, जौनपुर।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in